दो रुपये TWO RUPEES

(124)

अपील क्रमांक – /2017
प्रस्तुती दिनांक –02/05/2017

श्रीमान् वरिष्ठ न्यायालय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

R-7099-PB/17

चन्दाप्रभु होम्स प्रा. लि. तर्फे संचालक योगेश जैन
16, वेयर हाउस रोड, सियागंज, इन्दौर (म.प्र.)
9827065641

.........अपीलार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री योगेश जैन
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 02-05-2017
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

:: विरूद्ध ::

1. श्री सुभाषचन्द्र पिता श्री कोमलचंद जैन
   पीपलवाला सोप चौक बाजार, सतना (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन

290 ....प्रत्यर्थीगण
02-05-2017

अपील अंतर्गत धारा 56 स्टॉम्प अधिनियम

अपीलार्थी की ओर से निवेदन है कि :–

यह कि, अपीलार्थी की ओर से उक्त अपील श्रीमान् कलेक्टर ऑफ स्टॉम्पस जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/बी–103/15–16/33 में पारित आदेश दिनांक 29/07/2016 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7099—पीबीआर / 17 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-18	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अभिलेख का परीक्षण किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्ट्राम्प द्वारा दस्तावेज एवं शपथपत्र अनुसार उक्त अनुबंध पत्र कब्जा रहित अनुबंध पत्र है, इसलिये उक्त अनुबंध में पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम के मान से कमी मुद्रांक शुल्क प्रभार्य होगा तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 40(1)(ख) के तहत शास्ति अधिरोपित कर जमा कराने के आदेश देने में प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	